राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–14/2014 दायर दिनांकः–13.06.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. गोकुल पुत्र हरजी जाति बलाई, निवासी सिणगारा, तहसील–रुपनगढ़, अजमेर।
2. भंवरलाल पुत्र मगना जाति भांभी, निवासी सिणगारा, हाल नि0 भोपो का बाड़ा अजमेर।
3. छोटू पुत्र मगना जाति भांभी, निवासी सिणगारा, तह0 रूपनगढ़ ,अजमेर।
4. नाथी पत्नि मगना जाति भांभी, निवासी सिणगारा, तह0 रूपनगढ (फौत)
5. खेताराम पुत्र देवा जाति मेघवाल नि0 नोसल तह0 रूपनगढ

—————प्रार्थीगण

बनाम

1. बालकिशन पुत्र रामदेव जाति रेगर नि0 सांवतसर तह0 किशनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक–27.07.2022

निर्णय

यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर द्वारा अपील संख्या 443/2015/225 (2015/00003) आशिंक रुप से स्वीकार की जाने एवं इस न्यायालय का आदेश दिनांक–27.08.2015 को निरस्त करने के फलस्वरुप इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित कि गई है कि विवादित रास्ते के संबंध मे धारा 251(क) रा0का0अधि0 के नियम 69 के परिपेक्ष्य में स्वयं तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षों की उपस्थिति में तैयार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य/ सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करें।

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को सूचना हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी संख्या 1,2,5 के नोटिस तामिलशुदा व प्रार्थी संख्या 3 का नोटिस अदम तामिल प्राप्त । अप्रार्थी संख्या 2 (तहसीलदार रूपनगढ़) का नोटिस तामिलशुदा व अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस अदम तामिल प्राप्त। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी राष्ट्रीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रार्थी को सुना गया। तदनुसार अप्रार्थी संख्या 1 (बालकिशन पुत्र रामदेव) को सूचना हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाने के आदेश दिये गये। सूचना प्रकाशित करवाकर प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक मरू प्रहार दिनांक 05.01.2022 की प्रति पेश की, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 की तामिली मानी गयी। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा उभयपक्षों की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु विधिवत तामिली करवायी गयी। तत्पश्चात मौके पर मौजूद पक्षकारों व अन्य की उपस्थिति में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिणगारा के ख0न0 522, 525 व 527 में आने–जाने हेतु प्रार्थी ने ख0न0 524 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता चाहा गया है, जो कि ख0न0 524 रकबा 2.4431 है0 भूमि बालकिशन पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी रेगरों का मोहल्ला, सावंतसर किशनगढ़ के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। ख0न0 524 की उत्तरी मेड़ पर पूर्व से पश्चिम की ओर मौके पर रास्ता चालू हैं। उक्त रास्ता लगभग 15–20 वर्षो से चालू होंना बताया है। ख0न0 522, 525 व 527 में आने–जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सबसे निकटतम रास्ता ख0न0 524 की उत्तरी मेड़ पर पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग डामर सड़क को जोड़ता है। ख0न0 524 में उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे रास्ते की कुल लम्बाई 87 गट्ठा व चोड़ाई 3 गट्ठा है। रास्ते का कुल क्षेत्रफल 261 वर्ग गट्ठा अर्थात 00–13–00 बीघा (0.1056 है0) बनती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तदनुसार ग्राम सिणगारा के ख0न0 522, 525 व 527 में आने–जाने हेतु ख0न0 524 की भूमि में से उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर 3 गट्ठा चौड़ा एवं 87 गट्ठा लम्बा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि [illegible] 00–13–00 बीघा अर्थात 0.1056 है0 बनता है, जिसकी डी0एल0सी0 दर 17000/- रूपये प्रति[illegible] (संशोधित) अनुसार कुल राशि अक्षरे ग्यारह हजार पचास रूपये मात्र बनती है, जिसकी दुगुनी राशि बाई[illegible]जार सौ रूपये बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान हेतु रूपये बाईस हजार सौ रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के नाम 8443 सिविल जमा अमानत मद में जमा करवाने हेतु प्रस्तुत करने पर तहसीलदार रूपनगढ़ को भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे ही तहसीलदार रूपनगढ़ को 8443 सिविल जमा अमानत मद में जमा करवाने हेतु इसलिए भिजवाया जा रहा है क्योंकि इस न्यायालय एवं तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा रजिस्टर्ड ए0डी0 एवं समाचार पत्र के माध्यम से सूचित करने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:01 IST
Reason: SelfAttested